न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारीः— श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा आर.ए.एस.

निगरानी
~~अपील~~ संख्या 02/16 तारीख दायराः— 22.12.16

केवल चन्द पुत्र श्री सही राम जाति नायक साकिन 24 ओ भट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर
— प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र रतना राम जाति नायक निवासी 24 ओ भट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर
2. ग्राम पंचायत 6 एफ रड़ेवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान
—अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत 6 एफ रड़ेवाला
दिनांक 13.11.2000

उपस्थित— अधि.श्री ओम प्रकाश बतरा (प्रार्थी)

दिनांक 23/11/17

।। निर्णय ।।

पुनरीक्षण आवेदनपत्र का संक्षिप्तीकरण इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी द्वारा निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत 6 एफ रड़ेवाला दिनांक 13.11.2000 आहाता संख्या 304 के संबंध में पेश की गई कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आहाता बिना किसी आधार पर जारी किया गया जबकि अप्रार्थी का कब्जा कभी नहीं रहा। प्रार्थी के पास आहाता संख्या 301 का पट्टा प्रार्थी के नाम से जारी है जिसके साथ चिपता हुआ उक्त आहाता है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी का 50 वर्ष पुराना कब्जा नही था सन 2000 में उसकी आयु ही 50 वर्ष की नहीं थी अतः उसके नाम से पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रकिया नहीं अपनाई न ही कब्जा की जांच की व एक पक्षीय तौर पर पट्टा अप्रार्थी के नाम से जारी करदिया गया। प्रार्थी को उक्त पट्टा की जानकारी होने पर बिना किसी देरी के निगरानी पेश की जा रही है जो स्वीकार की जावे व ग्राम पंचायत का आदेश अपास्त किया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी एवं रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री प्रेम खीचड एडवोकेट एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री जीतपालसिंह सैनी एडवोकेट उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि आदेश ग्राम पंचायत 6 एफ रड़ेवाला दिनांक 13.11.2000 आहाता संख्या 304 के विधि विरूद्ध है उनका कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आहाता बिना किसी आधार पर जारी किया गया जबकि अप्रार्थी का कब्जा कभी नहीं रहा। प्रार्थी के पास आहाता संख्या 301 का पट्टा प्रार्थी के नाम से जारी है जिसके साथ चिपता हुआ उक्त आहाता है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी का 50 वर्ष पुराना कब्जा नही था सन 2000 में उसकी आयु ही 50 वर्ष की नहीं थी अतः उसके नाम से पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रकिया नहीं अपनाई न ही कब्जा की जांच की व एक पक्षीय तौर पर पट्टा अप्रार्थी के नाम से जारी कर दिया गया। प्रार्थी को उक्त पट्टा की जानकारी होने पर बिना किसी देरी के निगरानी पेश की जा रही है जो स्वीकार की जावे व ग्राम पंचायत का आदेश अपास्त किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली व प्राप्त रिकार्ड का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया। आहाता संख्या 304 आबादी भूमि का विक्रय विलेख सरपंच ग्राम

पंचायत द्वारा दिनांक 13.11.2000 को अप्रार्थी के नाम से जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितीकरण के संबंध में प्रावधान किया गया है कि जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों वे विहितनुसार राशि जमा करवायें जिन्हें इसके पश्चात पट्टा जारी किया जायेगा। प्रस्तुत मामले में ग्राम पंचायत के रिकार्ड के अवलोकन से ऐसी कोई जांच किया जाना नहीं पाया जाता न ही कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया है जिससे ज्ञात हो कि संपूर्ण प्रक्रिया का पालन किया गया है। अतः जारी किया गया विक्रय विलेख विनियमितीकरण की श्रेणी में नहीं आता।

अतः उक्त पट्टा दिनांक 13.11.2000 खारिज किया जाता है व मामला सरपंच ग्राम पंचायत को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि मौका निरीक्षण उभय पक्षों की उपस्थिति में किया जाकर निर्णय में निर्देशित बिन्दुओं की जांच की जावे कि विवादित भूखण्ड पर किसी का कब्जा रहा है या नहीं, था तो कब से, क्या भूखण्ड निर्मित था अथवा खाली आहाता था, क्या विधि के अनुसार कब्जा उक्त नियमों के तहत नियमन योग्य था, यदि नियमन योग्य था तो नियमानुसार नियमन की प्रक्रिया अपनाई जाकर नियमन संबंधी कार्यवाही की जावे व नियमन की परिधि में नहीं आता तो तदनुसार कार्यवाही की जावे समस्त जांच तथा सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावे।

निर्णय की प्रति के साथ रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 23/11/17 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्री गंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर